संख्या- /2015 /1399 /33-3-2015-02(रा0नि0आ0)/2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 22 मई, 2015

विषय-त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2015 के लिए प्रदेश में पिछडे वर्ग की जनसंख्या (रैपिड सर्वे) कराये जाने हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4/700/2015-4/172/2014 दिनांक 09 अप्रैल, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष में 2015-16 में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार पिछडे वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या के अवधारण हेतु रैपिड सर्वे कराये जाने के लिए गतिविधिवार आवश्यक धनराशि का आकलन करते हुए जनपद स्तर पर रू0 371779000.00 एवं निदेशक, पंचायती राज के स्तर पर रू0 5900000.00अर्थात कुल रू0 37,76,79,000/- (रू0 सैतीस करोड छियत्तर लाख उन्यासी हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- चूँकि उक्त प्रयोजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में आवश्यक प्राविधान नहीं है और व्यय अति आवश्यक एवं अपरिहार्य है। अत: श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत रू0 37,76,79,000/- (रू0 सैतीस करोड छियत्तर लाख उन्यासी हजार मात्र) की धनराशि को राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान भी करते हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति यथासमय अनुपूरक मांग द्वारा कराई जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति निम्नवत शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये गये निर्देशों तथा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रयोजन एवं मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व शासन को पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(4) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर- 12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.

4- निदेशक,पंचायती राज द्वारा त्रिस्तरीय पंचातयों के सामान्य निर्वाचन, 2015 के लिए प्रदेश में पिछडी जातियों की जनसंख्या का रैपिड सर्वे कराये जाने के लिए जनपदवार धनराशि गतिविधिवार उपलब्ध करायेंगे तथा उपलब्ध करायी गयी धनराशि की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

5- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथमत: लेखाशीर्षक" 8000- आकस्मिकता निधि -201-समेकित निधि से विनियोजन' एवं अतत: अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक" 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय- 11- पंचायती राज चुनाव हेतु व्यवस्था -42 अन्य व्यय के नाम डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-यू0ओ0-467 /दस/2015 दिनांक 20 मई, 2015 में प्राप्त इनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

वित्त विभाग

राज्य आकस्मिकता निधि संख्या- ई-2-सी0एफ0-004 /2015, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि एक अतिरिक्त प्रति सहित महालेखाकार (प्रथम), लेखा एवं हकदारी /लेखा अनुभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(राम किशोर पाण्डेय)
संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त लेखाधिकारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- समस्त मण्डलरीय उप निदेशक (पंचायती राज)उ0प्र0।
6- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
8- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
9- पंचायती राज अनुभाग-1
10- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0लखनऊ।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in